राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
परिवहन विभाग,
5/9 अण्डर हिल, दिल्ली–54

सं0एफ0 19(04)/परि0 वि0/सचि0 शा0/2019/ 104 दिनांक : 26/02/2019

सेवा में,

उप– सचिव (प्रश्न),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय,
दिल्ली–54

विषय : दिनांक 28.02.2019 को सदन की बैठक में लिए जाने वाले तारांकित प्रश्न सं0 – 60

महोदय,

आपके पत्र के संदर्भ में उपरोक्त प्रश्नों के उत्तर की 100–100 प्रतियाँ संलग्न हैं।

भवदीय,

(विकास जैन)
पी.सी.ओ. (सचि0)

VIKAS JAIN
Pollution Control Officer
Transport Department
5/9 Under Hill Road, Delhi-54

विभाग का नाम : परिवहन, दिल्ली सरकार
विभाग का पता : 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली।
तारांकित प्रश्न संख्या : 60
प्रश्नकर्ता का नाम : श्री विजेंद्र गुप्ता
दिनांक : 28.02.2019

क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क.सं.	प्रश्न	उत्तर
क	मेट्रो फेज–4 की स्वीकृति के लिए दिल्ली सरकार द्वारा कौन–कौन सी शर्तें लगाई गई हैं;	दिनांक 19/12/2018 के कैबिनेट निर्णय संख्या 2666 के द्वारा दिल्ली सरकार द्वारा मेट्रो फेज–IV को निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की गई :– 1. इस परियोजना के पूर्व अनुमोदन को संशोधित कर परियोजना लागत 46,845 करोड़ रुपये के साथ लागू किया जाएगा। इस परियोजना में दिल्ली सरकार की 9707.50 करोड़ रुपये की हिस्सेदारी होगी। 2- इस परियोजना में परिचालन हानि (Operational Losses), यदि कोई हो, तो दिल्ली सरकार और भारत सरकार के बीच 50:50 के अनुपात में साझा तौर पर वहन किया जाएगा। 3- दिल्ली सरकार, जेआईसीए (Japan International Cooperation Agency) ऋण की अदायगी के संबंध में कोई दायित्व वहन नहीं करेगा, जिसमें ऋण की अदायगी, ब्याज या जेआईसीए ऋण से उत्पन्न कोई अन्य देयता शामिल है।
ख	ये शर्तें किन नियमों के तहत लगाई गई हैं;	ये शर्तें विभिन्न वित्तीय तथा अन्य पहलुओं, डीएमआरसी में भारत सरकार और दिल्ली सरकार की बराबरी की हिस्सेदारी, दिल्ली मेट्रो की पूर्व परियोजनाओं की स्वीकृति की शर्तों इत्यादि को ध्यान में रखकर लगाई गई हैं।
ग	क्या ये शर्तें मेट्रो रेल्वेज (संशोधन) अधिनियम, 2009 तथा मेट्रो रेल पॉलिसी 2017 के अन्तर्गत स्वीकृति प्राप्त हैं;	दिल्ली सरकार के दिनांक 19/12/2018 के कैबिनेट निर्णय संख्या 2666 द्वारा मेट्रो फेज–IV स्वीकृति के संदर्भ में डीएमआरसी या आवास और शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा इन शर्तों का मेट्रो रेल्वेज (संशोधन) अधिनियम, 2009 तथा मेट्रो रेल पॉलिसी, 2017 के अनुसार न होने के विषय में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।
घ	सरकार को प्रति वर्ष कितने ऑपरेश्नल घाटे का अनुमान है, और	इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट व डीएमआरसी के संशोधित प्रस्ताव के अनुसार इस तरह के किसी भी घाटे को परिकल्पित नहीं किया गया है।
ङ)	क्या दिल्ली मेट्रो को कहीं और भी ऑपरेश्नल घाटा हुआ है?	जी नहीं।

इसकी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गई है।

के. के. दहिया
विशेष आयुक्त (परिवहन)
K.K. DAHIYA
Special Commissioner (T.)